

उत्तराखण्ड में होगा एसआईएसएफ और पर्यटन पुलिस का गठन

चर्चा में क्यों?

10 अक्टूबर, 2023 को उत्तराखण्ड की अपर मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और पर्यटक स्थलों की सुरक्षा के लिये राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) और पर्यटन पुलिस के गठन हेतु स्पष्ट प्रस्ताव देने के निर्देश दिये।

प्रमुख बंदि

- वदिति हो केंद्रीय गृह मंत्री अमति शाह की बैठक में इन दोनों प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। राज्य सरकार इन दोनों प्रस्तावों को मंजूरी के लिये केंद्र सरकार को भेजेगी।
- बैठक में उन प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई थी, जो गृह मंत्रालय में वचिराधीन हैं। इन सभी प्रस्तावों पर गृह मंत्री अमति शाह के आश्वासन के बाद अपर मुख्य सचिव (एसीएस) राधा रतूड़ी ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।
- बैठक में एसीएस ने नशीले पदार्थों के तस्करों से कड़ाई से नपिटने के लिये एंटी नारकोटकिस टास्क फोर्स का पूरी तरह से गठन के नरिदेश दिये। टास्क फोर्स में 40 पदों का प्रावधान है, लेकिन एक भी पद नहीं भरा है।
- नशा तस्करों की रीढ़ तोड़ने और अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय गरिह का पटाकषेप करने के लिये राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) व नारकोटकिस कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का सहयोग लिये जाएगा।
- एसीएस ने बैठक में वाहनों की स्क्रैपिंग पॉलिसी का प्रस्ताव जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजने के नरिदेश दिये। केंद्रीय गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को क्वालिटि ट्रेनिंग दिये जाने पर बल दिया था, जिसके संबंध में एसीएस ने अधिकारियों को तत्काल प्रस्ताव तैयार करने के नरिदेश दिये।
- बैठक में एसीएस ने केंद्र में लागू मॉडल जेल मैनुअल और मॉडल जेल एक्ट 2023 को राज्य की परस्थिति के अनुरूप कल्पिय संशोधन के साथ लागू करने के नरिदेश दिये। उन्होंने मॉडल फायर बलि के संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से समयबद्ध रूप से प्राप्त करने को कहा।